56

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District.

Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Shri Yugal

Kishor Pant I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the

applicant claiming rights in Kirtinagar Block area measuring 0.711 Hectare

for the construction of Hindolakhal Payalgoan motor road to Bitula, Notha,

Devali and Dalmasa Extention up to Hindolakhal Palethi Mulyagoan

Motor Road in Tehsil Devprayag of forest land under FRA 2006 of the

following applicant duly processed and recommended by the Sub Division

Level Committee of Kirtinagar Sub Division were discussed to consider the
same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Place :- Tehri

(इन्दुवर बौड़ाई) District Collector Oulm chairman

District Tehri Garhwal New Tehri



प्रारूप सं0 30 FORM-I

(For linear Projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Tehri Garhwal

No.

Dated

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

It is further certified that:

- a) the complete process for indetification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire **0.711 Hac.** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, are enclosed as annexure **23** to annexure 23.2
- b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have
- c) the proposal does not invole recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

Signature (इन्दुध्र बोड़ाई)

जिला अधिकारी

िहरी गढ़वाल। Distt. Colector It is further certified that-

Minutes of meeting of Hidolakhal Payalgaon Motor Road Extension up to Hidolakhal Mulyagaon Motor Road Via Bitula, Nautha, Devli & Dalmasa Motor Road (5 Km) regarding FRA is as following

Sl. No		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s). Gram Sabha(s) Sub-Division Level Committee is enclosed as annexure to annexure.	there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Division of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road as attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Preagricultural communities.	there are no habitants belonging to schedules tribes and other
7	(MAA	traditional forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य टिहरी गढवालान 39 आपणी - पलेती

विकास खण्ड

जिल्रा समाज कल्याण अधिकारी जला सदिहरी गढ़वाल अधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर् वरेन्द्रभाग,विदेशसाय दवाल मृति-की-रेखी

> (इन्दुधर बीड़ाई) टिहरी गढवाला।



प्रारूप सं0 - 1.90

भू-अर्जन प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत का नाम -तहसील देवप्रयाग, जिला टिहरी गढवाल

परियोजना का नाम :-

जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत हिण्डोलाखाल पयालगांव मोटर मार्ग का बिटुला, नौथा, देवली एवं दलमांसा होते हुए हिण्डोलाखाल मुल्यागांव मोटर मार्ग तक विस्तार निर्माण कार्य (लम्बाई 5.00 कि0मी०)।

स्वीकृति सन्दर्भ :-

549 / 111(2) / 14-49(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 29.01.2014

विधान सभा देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत हिण्डोलाखाल पयालगांव मोटर मार्ग का बिटुला, नौथा, देवली एवं दलमासा होते हुए हिण्डोलाखाल मूल्यागांव मोटर मार्ग 5.00 कि0मी0 हेत् उपरोक्त शासनादेष द्वारा प्रषासकि एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसके सापेक्ष गांव वालों की सहमति पर ही 5.225 कि0मी0 लम्बाई हेतु प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

प्रखण्ड टिहरी गढ़वाल परिक्षेत्र के हिण्डोलाखाल पयालगांव मोटर मार्ग का बिट्रला, नौथा, देवली एवं दलमासा होते हुए हिण्डोलाखाल मुल्यागांव मोटर मार्ग के नव निर्माण के लिये ⁻ 0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.711 है0 सिविल वन भूमि, 0.00 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.711 है0 का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तथा बाकी नाप भूमि 3.9915 है0 ग्राम पंचायत पौसाड़ा के काष्तकारों से देना प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित नाप भूमि को सम्बन्धित काष्त्रकारों से नियमानुसार सहमति से अथवा अर्जित कर प्रयोकता एजेन्सी को उपलब्ध करा दी जायेगी एवं

प्रष्नगत मोटर मार्ग निर्माण बाधित नहीं होगा।

Executive Engineer of D. P.W.D. Srinagar H.Q. Kirtinagar

तहसाल देवप्रयाग जिला-दिस्री गढबाल

देवप्रयाग,टि०ग०

जिलाधिकारी कारी टिहरी गढेवाला।

परियोजना का नाम :- अनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य-योजना के अन्तेगत हिण्डोलाखह 'प्यालगांव मीटर मार्ग का बिट्ला, नीधा, देवली से दलमासा होते हुर हिठडीलाखाल मुल्गांगाव मीटर मार्ग तक विस्तार मीटर मार्ग हेतु वन भूमि का गैर बॉनिकी कार्यो हेतु ली नि वि की प्रयावतन

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कीतिनास अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

स्वे दलमासा होते हूछ हिण्डोलाखाल मृत्यागाँव तकविस्तार (____ हेo आरक्षित वन भूमि, ०.७.।। हेo सिविल एवं सोयम वन भूमि, हैं वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल कि हैं। हैं वन भूमि) का लोक निर्माण विधान की तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देवप्रयाग) की दिनांक को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री निर्देश विश्वाद अधिकार एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति ਜ਼ਿਸ਼ਗਜ਼ਘਾਹ ਵੈ।

1- श्री चत्रिंह चौहर्न	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष 🔱
2- श्री र डी.पी.व्यानी	उप प्रमागीय वनाधिकारी	सदस्य
3- 81 /00114 (3hic 3 Ship)	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य सिचव
4- श्रीमर्स = गुरुत देवी	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य भारति दे

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि दिखालास्मल प्रयानमां का बिद्धला, मीधा, देवली से दलमासा होते हुए हिंखली रियोजना हेतु अन्यान है। है। वन भूमि लोक निमाण विद्याग विद्याग विद्याग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिमबत नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, उप वन प्रथा देव प्रयान द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड की दिनार परिक्षेत्र के अन्तर्गत हैंग्डे लाखान प्यानमंत्र मीर का बिद्धला, नीथा देन्ली से दलमास्तर के हिन्दीलायन मुन्यागान मोनम्प परियोजना के निर्माण हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील— देव प्रशान जनपद दिहरी गढ़िवाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील— देवप्राणा जनपद टिटरी गादवाल

63

परियोजना का नाम :- अनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य-योजना के अन्तित हिण्डोलाख प्रयालगांव मोटर-मार्ग का बिट्ला, नीधा देवली से दलमासा होते हुरू हिण्डोलाखा मुल्यागांव मोटर-मार्ग तक विश्तार मोटर मार्ग हेतु वन-भूमि का गर्नेर-वानिकी कार्यो हेतु लोजनि वि को प्रत्यावतन

दिनांक की जप खण्ड समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति जनपद दिहरी गढ़ बाल

1 की न्यत्रसिंह्नोहन	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष — ५५
2 % डी, पी, वलोनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3 /0/ -11 4 8 51 12 8 10 me	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4 श्रीमती पार्वती डेवी	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य अत्र प्रवायत-लंगोर,

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपढ़ व्हिरी के विद्यान सभा क्षान देवप्रमाण के अन्तर्र हिर्णेशास्त्राल प्रभातमां का मार्ट भाग का बिट्ला, नीट किसी एक दलमासां होते हुमें हिण्डालाखान मुख्यामी

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नाम प्रिकार तहसील देव प्रभाग, जिला हिंदी गढवाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्तराखण्ड में जनपद् हिंही गढवाल के अन्तर्गत हिल्डोलाखाल प्रमालात माटर मार्गका विद्वा, नोधा देवली रूवं दलमामा हारे हुए हिटडालाखाल

परियोजना के निर्माण हेतु (...... हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.711 है0 सिविल सोयम भूमि, है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.711 है0 वन भूमि का लोक कि पक्ष में भारत सरकार,

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हूतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत प्रीसाडी हारा दिनांक <u>02-10-2015</u> को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। • उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम वोसाउ। के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि व्योग निग कि की विकास प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपित्त नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव द्वावत्र)

नोट :- • यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

छाया प्रति सत्यापित 🎎

सहायक अभियंता अ०ख०, लो०नि०वि० देवप्रयाग

65 00

प्रपत्र—23.1 दिनांक <u>...०२.१०.२०१५</u> को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत<u>ंभेरिस्</u>

ग्राम पद्मायतपार्साःहा					
क्मांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर			
4.	नरेन्द्र २ तू डी	Okatey			
2.	नरेन्द्र जोशी	N/04.			
3.	सोहनलाल रत्डी	AN TO			
A.	अभ्रम्म रत्री	37200 233			
5.	रुष्ट्राराल भनी	Ship ?			
6.	कुश्रामक	Jewas -			
7	देवेन्द्र असादरेष्ट्री	Son Gere Jaketa			
8.	2148001 205)	राम किरोद्धावा			
9.	चुकेश रहार्डा	mateum =			
10-	पुरुषोन्तम दन्ते रत्री	यित्राहाम इत			
11-	राविन्द्र रत्डी	Moder			
	चाया प्रति सत्यापित	the state of the s			
	स्- स्डायक अभियंता				
	सड़ायक आमयता अ ०ख०, लो०नि०बि० देवग्रण्य				
	देवप्रमण्य				

ह0/-ग्राम प्रधान

Suman

जय मां चन्द्रबदनी

ग्राम पंचायत-पौसाड़ा,विकासखण्ड-देवप्रयाग(हिण्डोलाखाल) जिला-टिहरी गढ़वाल(उत्तराखण्ड)

मुमन रतृड़ी प्रधान ग्राम पंचायत-पाँसाड़ा विकास खण्ड-देवप्रयाग, दि०ग० गाम-पासाडा, पोस्ट-हिण्डोलाखाल जिला-टिहरी गदबाल(उत्तराखण्ड) Mob.9756789050,9897377647

पंत्राक..... अभागपत्र

Rais 05:0617

प्रमाणित्र किया जाता है कि हिडोलाखाल-प्रमालगों मो दर्जा का विद्वता, तीं था देवली सेव दलमासा होते हुये हिछोलाखाल-मुल्यागोंव भीटर आर्मकि स्लार नव निर्माल प्रस्तावित है, च्येत प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम-दलमासा कफीलगों में, तीं था, विद्वता र्याल गोंव क लंगीर ग्राम पेन्यापत-पींसणा के सन्तर्गत